## ORDER SHEET 1410-2015Rct

Date of order of proceeding	Order or proceeding with singnature of presiding officer	Singnature of parties or pleaders where necessary
07-12-16	राज्य द्वारा एडीपीओउप० आरोपीगण सहित अधि०श्री केशविसंह गुर्जर उप० प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है। आज दिनांक को फरियादी योगेन्द्र माहौर एवं आहतगण बेताल सिंह एवं इन्द्राबाई उप० इसी प्रकम पर उभयपक्षों द्वारा व्यक्त किया गया कि वह प्रकरण का निराकरण मीडिएशन के माध्यम से कराना चाहते हैं आज दिनांक को फरियादी योगेन्द्र माहौर एवं आहतगण बेताल सिंह एवं इन्द्राबाई उप० है उनके द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि वह प्रकरण का निराकरण मीडिएशन के माध्यम से कराना चाहते हैं। चूंकि उभयपक्ष प्रकरण का निराकरण मीडिएशन के माध्यम से कराना चाहते हैं। उत्त प्रकरण मीडिएशन को कार्यवाही हेतु श्रीमान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय गोहद के न्यायालय में भेजा जाता है। इस संबंध में रिफरल ऑर्डर जारी किया जावे। उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता हैकि प्रशिक्षित मीडिएटर श्रीमान प्रथम अपर सत्र न्यायालय में उपठहों। प्रकरण मीडिएशन रिपोंट हेतु चायकाल पश्चात पेश हो। जे०एम०एफ०सी० पुनश्च— पक्षकार पूर्ववत मीडिएशन रिपोंट प्राप्त जिस्ने अभिलेख के साथ संलग्न किया गया। इसी प्रकम पर उभयपक्षों द्वारा द०प्र०स्वकी धारा 320 (2) के अंतर्गत राजीनामा आवेदन मय राजीनामा प्रस्तुत किया गया जिसे अभिलेख पर लिया गया। फरियादी योगेन्द्र माहौर एवं आहतगण बेताल सिंह एवं इन्द्राबाइ की पहचान अधि०श्री राकेश भटेले द्वारा की गईहै। राजीनामा आवेदन पर विचार किया गया प्रकरण का अवलोकन किया गया प्रकरण का अवलोकन किया गया प्रकरण के अवलोकन से दिश्ति हैकि आरोपी रामऔतार,श्रीकृष्ण,अरविन्द्र उर्फ वेटू,वीरेन्द्र एवं नवलसिंह के विरुद्ध मादस	-
	की धारा 294,147, <u>323 / 149</u> तीन शीर्ष एवं 506 भाग—2 के अंतर्गत	

आरोप विरचित किये गये है। उक्त धाराये न्यायालय की अनुमति से राजीनामा योग्य है फरियादी एवं आहतगण ने आरोपीगण से स्वेचछयापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है। राजीनामा पक्षकारों के हित में एवं लोकनीति के अनुरूप है । अत :राजीनामा आवेदन स्वीकार किया गया एवं उभयपक्षों को राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की गई । राजीनामा के आधार पर आरोपी रामऔतार,श्रीकृष्ण,अरविन्द्र उर्फ वेटू,वीरेन्द्र एवं नवलसिंह को भादस की धारा 294,147<u>,323 / 149</u> तीन शीर्ष एवं 506 भाग–2 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। आरोपीगण पूर्व से जमानत पर है उनके जमानत मुचलके भारहीन किये गये। प्रकरण मे जप्तशुदा कोई सम्पत्ति नहीं हैं। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे । सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) जे0एम0एफ0सी0गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

ELIMINA PAROLES SUNT